Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 8 ~ Issue 12 (2020)pp: 27-30
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

महिला सशक्तिकरणः एक कदम आगे महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी प्रयास

डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव

दिग्विजयनाथ पी0जी0 कॉलेज असि0 प्रो0

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये गये नारे 'समानता, विकास और शान्ति' के साथ 1975 में मैक्सिको में आयोजित महिला दशक 1985 में नैरोबी में सम्पन्न हुआ। इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी मनाया गया। विश्व के इतिहास में सम्भवतः महिला विमर्श की यह पहली सशक्त वैश्विक दशक था। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से महिला स्थिति पर रिपोर्ट माँगी। भारत में भी इस प्रयोजन के लिए एक कमेटी बनी। जिसमें अपनी रिपोर्ट भी दी जाती है। इस रिपोर्ट तथा संयुक्त राष्ट्र की कॉल फॉर एकशन के प्रयोग में भारत ने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन का प्रारुप बनाया। इसके बाद से महिला सशक्तिकरण नीति की दिशा में देश बढ़ने लगा, इसके बाद वर्ष 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह के भेद-भाव को समाप्त कर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में खुलकर भागीदारी करने का मार्ग सुनिश्चित करना है।

इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरु किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे-शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य कानूनी अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरण तथा प्रमुख नीतियों कार्यक्रमों एवं प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अलावा महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य से सम्बन्धित कई सारी योजनए में लाये गए है। इन सबको लाभ भी मिला है। इस बार 'बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं' जैसी सामाजिक जिम्मेदारी की योजना से भी लाभ मिलता है।

महिला कल्याण के संवैधानिक प्रावधान:-

भारतीय सवंधिान के प्रस्ताव में उल्लेखित उद्देश्य, जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते है। जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्या स्वरुप स्पष्ट दिखाई देते है। इससे महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है। भारत में महिला की संख्या लगभग 586 मिलियन है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों में लैगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए है। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रुपरेखा निम्न प्रकार से होती है।

अनुच्छेद-14 राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।

अनुच्छेद-15(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद-15(3) राल्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-16 लोक निर्माण में अवसर की समानता।

अनुच्छेद-243(न)(3) नगरपालिका में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद-243(न)(4) नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए।

अनुच्छेद-325 भेदभाव बिला निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।

महिलाओं से जुड़े संवैधानिक उपबन्ध और अधिनियम

संवैधानिक उपबन्धों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनियमों का प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया। उससे जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में शुरुआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनः विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925) शारदा एक्ट (1929) अंग्रेजी हुकूमत द्वारा क्रियान्वित कर समाज को जागरुक बनाने में कुछ प्रयास थे। ये अधिनियम महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रेरणा स्रोत साबित हुए। इससे पूर्व भारतीय समाज में महिलाएं न केवल पिछड़ी हुई थी। बल्कि भेद-भाव में उनका दर्जा दलितों के सामन था। पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद करके सुनियोजित तरीके से अलग-थलग करने की जो नीतियाँ चलाई गई थी। उन्होंने सामाजिक संगठन में महिलाओं को सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ कर दिया था।

इन संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृतिक विकास की आधार शिला रखी गयी थी। जिसे आगामी योजनाओं कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा है कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी आवाज को महत्व मिला है। और कोई भी समाज महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के अधकारों और उनके समय विकास के लिए समय-समय पर निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करती रही है-

1. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल-

कामकाजी महिलाओं दृ सहित बच्चों की देखभाल के लिए होस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972-73 से चल रही है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाओं जिनके पति शहर से बाहर रहते हो, उनके लिए होस्टल की व्यवस्था की गयी है।

2. रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम-

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम 1986-87 में क्षेत्र की योजना रुप में शुरु किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इस योना के अन्तर्गत रोजगार के परम्परागत क्षेत्र सम्मिलित किये गये है। जो इस प्रकार है- कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मछली पालन, हस्तशिल्प, खादी और रेशम कीट पालन।

3. स्वावलम्बन-

स्वावलम्बन कार्यक्रम जिसे पहले महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरुरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं को शामिल करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास नियमों, सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. स्वयंसिद्धा-

12 जुलाई, 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई स्वंयसिद्ध योजना स्वयं सहायता समूह आधारित योजना है। पूर्व में चल रही इन्द्रिरा महिला योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

5. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति-

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की जरुरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति विकास और सशक्तिकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्य योजना के तौर पर बनाई गई थी।

6. स्वधारा-

वर्ष 2001-02 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुरु की गई, जो कि कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभा के लिए बनाई गई।

7. स्वर्णिम योजना-

भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु, जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की है। उन्हें आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गई।

8. महिला समाख्या योजना-

इस कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरुक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाए बनाना तथा क्रियान्वित करवाना है। इनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जाता है।

9. आशा योजना-

इस योजना की शुरुआत 11 फरवरी, 2005 को की गई। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गाँव के स्थानीयस्तर पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती का प्रावधान है। योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी राज्यों में लागू किया गया है।

10. स्वशक्ति-

यह योजना 1998 मे शुरु की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृति विकास कोष के सहयोग से यह योजना हरियाण, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में महिला विकास निगमों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

11. निः शुल्क बालिका शिक्षा।

12. परिवार परामर्श केन्द्र।

13. बालिका प्रोत्साहन योजना।

14. किशोरी शक्ति योजना।

15. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन।

16. जननी सुरक्षा योजना।

17. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना।

18. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना।

19. महिला डेयरी विकास परियोजना।

20. वंदेमातरम् योजना।

21. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

22. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।

23. उज्जवला योजना।

24. धनलक्ष्मी योजना।

25. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला)।

26. इन्द्रिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना।

27. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन।

28. महिला किसान सशक्तिकरण योजना।

29. प्रियदर्शिनी।

30. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

31. स्त्री शक्ति पुरस्कार।

*Corresponding Author: Dr. Kumar Baibhav

32. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं-

अब केन्द्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक अच्छी स्कीम बनाई गई है और इसे नाम दिया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' इसे पूरे देश में एक आन्दोलन का रुप दिया गया है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, कार्यक्रम के तहत 100 जिलों का चयन किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी।